

अध्यक्ष महोदय : नहीं। वह तो इस के बारे में घर से ही फैसला कर के आये थे।

I am sorry this has happened. I came here determined not to displease anybody, because it happens to be my birthday. But, in spite of my determination, it has happened.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मुबारक हो मैं आपको बधाई देता हूँ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : Sir, we extend our most hearty felicitations.

MR. SPEAKER : Thank you. This morning when I got up I said I should have a very peaceful time and I will never displease any body. But, in spite of it this has happened. I am so sorry for it. I did not want to displease them at all. But, then it is a question of procedure. Now I am glad to see that my friend is coming back.

SHRI RANDHIR SINGH : We wish you many returns of the day.

MR. SPEAKER : You should help me in celebrating it.

12.53 hrs.

AGRICULTURAL PRODUCE CESS (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI F. A. AHMED) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Agricultural Produce Cess Act, 1940.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce

a Bill further to amend the Agricultural Produce Cess Act, 1940.

The motion was adopted.

SHRI F. A. AHMED : I introduce the Bill.

12.54 hrs.

DELHI SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL *Contd.*

MR. SPEAKER : The House will now take up further consideration of Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill. Shri Mohammad Ismail was on his legs.

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : He has walked out. He is a member of the allied power.

MR. SPEAKER : Now the hon. Minister.

अब, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा झाजाब) : अध्यक्ष महोदय, कल जिन माननीय सदस्यों ने इस वादविवाद में भाग लिया उन्होंने उस में कोई ऐसी विशेष बात नहीं कही जिस का मैं जाबब दूँ। बल्कि श्री त्यागी ने जिन प्रश्नों को श्री इमाम ने उठाया उन का बड़ा सुन्दर उत्तर दिया कि कामबन्दी दिन का मामला सरकार इस लिए अपने हाथ में ले रही है ताकि वह सारी शांति के लिए यूनिफार्मली हो। इस लिए इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जो विवादास्पद हो।

मैं समझता हूँ कि सदन इस विधेयक को बिना अधिक वाद विवाद किये पास कर देगा।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बिरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल बोल रहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो बड़ा इन्तजार किया। लेकिन प्रोसीजर यह है कि जब मिनिस्टर जवाब दे देता है तब फिर कोई और नहीं बोल सकता।

श्री मुहम्मद इस्माइल : मुझ को बहुत देर तो नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आप को मद्दरा दे रहा था कि आप बाहर न जायें।

I am first putting amendment No. 53 moved by Shri B. P. Mandal for reference of the Bill to a select Committee, to the vote of the house. The question is :

"That the Bill further to amend the Delhi Shops and Establishments Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be referred to a Select Committee consisting of 14 members, namely :—

- (1) Shri Bhagwat Jha Azad
- (2) Shri Benoy Krishna Deschowdhury
- (3) Shri Kanwar Lal Gupta
- (3) Shri Hem Barua
- (5) Shri Bhogendra Jha
- (6) Shri K. Lakkappa
- (7) Shri Yamuna Prasad Mandal
- (8) Shri Niraj Enem Horo
- (9) Shri N. G. Ranga
- (10) Shri Raghuvir Singh Shastri
- (11) Shri Ramavatar Shastri
- (12) Shri Digvijaya Narain Singh
- (13) Shrimati Tarkeshwari Sinha; and
- (14) Shri Gunanand Thakur

with instructions to report by the 16th November, 1970. "(53)

The motion was negatived.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Delhi Shops and Establishments Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2 - (Amendment of Section 2)

MR. SPEAKER : We have already exceeded the time allotted for this Bill. I am, therefore, putting clause 2 to the vote of the House.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : There are amendments.

MR. SPEAKER : We have exceeded the time.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : It is your birthday today; no time limit today.

MR. SPEAKER : I am surprised at the graciousness of the House. When the Business Advisory Committee makes the recommendation and the whole House adopts that report, they do not stick to that. Yesterday also it happened with the Contract Labour Bill. It is happening again now.

12.57 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Forteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at seven minutes past Fourteen of the Clock

DELHI SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILLS—Contd.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I rise on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are such a bright old parliamentarian. There is no order in the House. Yet you raise a point of order.

SHRI S. M. BANERJEE : The House has re-assembled after the lunch recess. Now the motion before the House is that the Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill 1969 be taken into consideration. The motion was made by the hon. Minister and some people have spoken.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What was the motion made?

SHRI S. M. BANERJEE : That the Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill 1969 be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is over. We are now considering clauses.

SHRI S. M. BANERJEE : That Bill is before the House. I want that that debate should be adjourned.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You want the debate to be adjourned. No, No.

SHRI S. M. BANERJEE : Kindly see Rule 340. It says :

“At any time after a motion has been made, a member may move that debate on the motion be adjourned.”

I do not require any permission, Sir, because this Rule gives the power.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Before you proceed further, kindly listen to me. The Rule says :

“At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned”

You cannot do that without my permission. That is No. 1. No, 2 is...

SHRI S. M. BANERJEE : No permission is needed. Kindly hear me, Sir. If the Speaker is of opinion that a motion for the adjournment of a debate is an abuse of the rules of the House, you can do that. That comes under rule 341 and not Rule 340, Rule 340 gives me the right to move that the debate be adjourned after a motion has been made and the discussion be adjourned and some thing else be taken up. I say why.

I am sorry I did not know that to-day was Speaker's birthday. I wish him many happy returns of the day. I might have raised many things. Sir, when we left the House this morning, we walked out on the question of promulgation of a draconian Preventive Detention Ordinance in U.P.

The entire proceedings, I am told, have not been recorded. That is something extraordinary. Here since a draconian ordinance has been promulgated in UP when UP Assembly is not in session and my information is that the Centre has a hand in it, I wish the Central Government to say 'Yes' or 'No' to this.

I want the House to discuss that matter in preference to the Bill before the House. That is my submission.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You want this to be adjourned in preference to that ? I cannot allow it. There are certain established conventions. The Motion for adjournment of a debate can be moved only by the Government under certain extraordinary circumstances if the Government wants that. There is no point of order.

SHRI S. M. BANERJEE : Under what rules were those expunged ?

There is the rule which only says :

If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House.

He may expunge only certain expressions uttered at that time, but not whole proceedings.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is not the issue at present. The only issue now before the House is your point of order.

SHRI S. M. BANERJEE : You kindly convey our feelings to hon. Speaker that this should be reconsidered ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is not the time before the House just at the moment. We are considering the Clauses. I cannot entertain that plea. Mr. Goyal, are you moving your amendments ?

SHRI SHRI CHAND GOYAL : Yes, Sir.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल ही पटना से लौटा हूँ। वहाँ के रिजर्व बैंक की ब्राच में ग्रेड सैकंड आफिसर श्री पी० के० मिश्रा, को ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में भाग लेने और डेपुटेशन लीड करने के नाम पर सस्पेंड किया गया है और उन से एक्स्प्लेनेशन मांगा गया है। इसी तरह और दो सौ कर्मचारियों को शो-काज नोटिस दिये गये हैं

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing of what he says will be recorded.

Are you moving your amendments, Mr. Goyal ?

SHRI SHRI CHAND GOYAL : Yes, Sir, I beg to move.

Page 1,—

Omit lines 7 to 12. (4)

Page 1, line 11,—

after "employment in any" insert
"shop or commercial" (5)

Page 2, line 1,—

for "(b)" substitute "(a)"

Page 2, line 3,— (6)

for "principally" substitute "partially" (7)

Page 2,—

after line 12, insert

"(b) after clause (7), the following clause shall be inserted, namely :

'(7A) "apprentice" means a person who is employed whether on payment of wages or not, for the purpose of being trained in any trade, craft or employment in any establishment;."

(8)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Lobo Prabhu, are you moving your amendment ?

SHRI LOBO PRABHU : Yes, Sir. I beg to move :

Page 2, lines 5 and 6,—

for "piece-rate or commission"

substitute—"or piece-rate" (54)

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूँ,.....(व्यवधान).....

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जो निवेदन किया है, आप उस को रिकार्ड पर रहने दीजिए।... (व्यवधान)...

श्री शिव चंद्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने श्री गoyal को अपनी एमेंडमेंट्स मूव करने के लिए कहा है और उन्होंने मूव कर दिया है। मेरा कहना यह है कि अभी फर्स्ट रीडिंग तो खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि अभी श्री मुहम्मद इस्माइल ने अपना भाषण पूरा करना है। इस के अलावा अन्य पार्टियों के सदस्यों ने भी बोलना है। इस स्थिति में आपने सैकंड रीडिंग कैसे शुरू कर दिया है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let me understand what the hon. Member is saying. I understand that the stage of motion for taking the Bill into consideration is over, and that motion has been adopted by the House. Now, we are taking clause-by-clause consideration.

श्री शिव चंद्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री इस्माइल ने अपना भाषण पूरा नहीं किया है।

SHRI S. M. BANERJEE : All of us had walked out, and the motion might have been adopted at that time.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : I have got my amendment for reference of the Bill to a Select Committee. Before it is voted upon, I must to given an opportunity to speak on it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am told that the motion for reference of the Bill to a Select Committee was put to the House when the hon. Member was not present here and it was negatived. So, why should he raise this kind of point now ? I would humbly and earnestly request hon. Members to kindly keep themselves in touch with what is going on in the House rather than come and raise something which has already been done.

श्री शिव चन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में श्री चण्णसिंह एक सालाजार के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ प्रिवेंटिव डिटेन्शन आर्डिनेंस जारी कर दिया है; इस के विरोध में हम लोग वाक-आउट कर गये थे। मेरा कहना यह है कि कल श्री इस्माइल ने अपना भाषण पूरा नहीं किया था। अभी उन्होंने बोलना है और दूसरी पार्टियों के सदस्यों ने भी बोलना है। आप इसाफ से काम लीजिए और सब सदस्यों को बोलने का मौका दीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Everybody here knows that the hon. Members is the most hard-working parliamentarian. There is no Bill on which he does not have amendments and on which he will not speak. We have very great respect for the hon. Member. But why does he want to raise this kind of point of order now ? It is no point of order at all.

SHRI SHRI CHAND GOYAL : The amendments which I have moved to clause 2 are amendments Nos. 4 to 8. Amendment Nos. 4 to 8 together suggest that the definition of 'apprentice' should be put at the proper place in the Act. Kindly turn to the parent Act where the definition has been given, and you will see that the present clause seeks to add the definition of apprentice along with the definition of an adult which appears in clause (i), whereas this definition of apprentice should come along with clause (7) which defines an employee, because the word 'apprentice' is being added to enlarge the scope of the word 'employee', and therefore, it will be much better and desirable that this defini-

tion of apprentice is added as clause 7A rather than as clause 1A. It has nothing to do with an adult. As apprentice may be a minor, because it is nowhere made compulsory that an apprentice must in all cases be an adult. An apprentice may not invariably be an adult; an apprentice may be a minor also. Therefore, it is proper that this definition of apprentice should be incorporated as clause 7A rather than as clause 1A. That is why I have suggested in amendment No. 4 to omit lines 7 to 12 at page 1, and add after line 12 page 2 the definition of apprentice.

At the moment this is being added to the definition of 'adult'. An apprentice has nothing to do with an adult ; is he has something to do with an employee because the scope of 'employee' is being widened by the insertion of the word 'apprentice'. It has been defined also.

Then I suggest that the words 'shop or commercial' be added in (1A).

"apprentice" means a person who is employed on payment of wages or not for the purpose of being trained in any trade, craft or employment in any"—

Before the word 'establishment', I want to insert 'shop or commercial', or at least the word 'shop', because the apprentices working in shops should also be covered. If we omit 'shop' it means the apprentices working in establishments alone will get the benefit and the apprentices working in shops will be kept outside the purview of the Act.

My next amendment is to substitute the word 'practically' for the word 'principally' in (b) (7). I want to suggest that 'employee' means a person wholly or partially employed and so on. The word 'principally' is already covered in the word 'wholly'. There are almost identical.

If 'partially' is included, it means that those persons who are not chiefly or wholly employed will also get the benefit of this. These are my amendments.

श्री मुहम्मद इस्माइल (बेरकपुर) :
उपाध्यक्ष जी, मेरे तो अमेंडमेंट कई हैं। मैं
एक ही पर बोलता हूँ जहाँ क्लॉज 2 में पीस
रेट है वहाँ मैं डेली वर्कर एंड करना चाहता
हूँ। यह डेली का शब्द मैं जोड़ना चाहता हूँ
यही मेरा संघोशन है।

I move :

Page 2, lines 5 and 6,—

after "piece-rate" insert, "daily"(45)

SHRI LOBO PRABHU : The whole
conception of this Bill is that all employees
working in the premises whole time are
eligible to leave and other concessions.
If we accept it, we have to consider how
for the new categories now being added
come within the scope of the Bill.

As my learned friend, Shri Iman, point-
ed out yesterday, the inclusion of apprentices
is likely to reduce their numbers. Owners
will be reluctant to employ apprentices
who are eligible to leave and other benefits.
Today there is considerable pressure on
these apprentices in shops and that will
probably increase because fewer of them
will be admitted when larger concessions
are being given to those who are being taught,
and the actual value of whose work has
still to be discovered by the owners.

Secondly, about the inclusion of piece
rate worker'. A piece worker may work
for half a day or a short time and say
'here is my piece'. Are you going to give
him these concessions? He may work for
one hour a day. He is not there for
the whole period. According to the pro-
visions here, a piece time worker who just
does a shirt or leg of a table is entitled to
the benefits of this Bill. There is a
complete misconception of the provisions,
a complete failure to relate its provisions
to the people sought to be benefited.

Then I come to the most important
objection relating to commission agents.
What is being done on commission need
not be done on the premises of the shop,

need not be done at a particular time. To
say that a man who discharges a commis-
sion at a rate which includes all his charges,
which perhaps was accepted on a competi-
tion, should be entitled to leave and other
charges is going to completely strain the
meaning not only of the word "worker",
but of the purpose of this Act. We do not
want anything like this to come on the
statute-book which has no meaning. It has
not only on meaning, but it is going to
introduce a lot of complications, because if
a commission agent claims leave and works
only for two days or even only for two
hours a day, how are the rules going to be
applied?

The Minister this morning dismissed the
whole thing as if the Bill was something
which was acceptable to all. He did not
even hear the arguments of my learned
colleagues that there were other parties con-
cerned with this Bill. I hope he will take
this occasion to explain why a Bill should
be introduced which is not going to bene-
fit the workers whose numbers, which is
not going to benefit the employers because
they will have to pay higher charges and
there they will have no incentive to ex-
pand.

Delhi is a very important place. If you
are going to make conditions hard for
your employers for your shopkeepers, the
growing climate of Delhi will change and
business will be transferred to other places.
I am really surprised that my friends are
so keen on adding to the privileges of
workers without considering what is means
to the development of Delhi.

Most important of all, we are con-
cerned with the consumers. Whatever you
make the shopkeepers pay which is not
reasonable, is going to be recovered from
the poor consumers, from people who are
poorer than those whom you are trying to
benefit. Further, for every worker em-
ployed in Delhi, there are three workers
on your Labour Exchange who are not
employed. What are you going to do for
them? You may make it very difficult for
the employers to add to their numbers
because of the high cost.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD :
Amendments 4, 6 and 8 by Shri Shri Chand

Goyal are not substantive amendments. The usual procedure followed in all Acts is to put the definitions in the alphabetical order. His amendments will change this procedure and therefore they are not acceptable. I hope he will withdraw them.

As for amendment No. 5, in the main Act, if you kindly see page 18, Clause 9, establishment means a shop. It is defined already. Therefore, the fear of the hon. Member is not correct, and this amendment also is not necessary.

Shri Ismail wants "daily" to be added after "piece rate". His apprehension is that possibly "daily" is not included in it. As you would kindly see, the term "periodical" legally includes daily, weekly and monthly. Therefore, there is no problem on that score.

So far as Shri Lobe Prabhu's amendment is concerned, he wants that the commission agent should go, that he should not have these privileges. I cannot accept the amendment because there are a large number of persons who work on this basis. Why should they be deprived of these benefits which have been given to others? They are also a kind of labour. For example, a person takes a large number of towels. As many towels, say of the same shop are sold at the corner and he depends on so many two annas he gets. Why should he be deprived of the facilities that we are extending to the apprentices and others? Therefore, this amendment is also not acceptable to us.

SHRI SHRI CHAND GOYAL : What about my amendment No. 7? It seeks to substitute "partially" for "principally".

SHRI BAAGWAT JHA AZAD : I am sorry, I shall reply to that.

We have said "principally," and the hon. Member wants it to be substituted by "partially". That will make it very wide and it will become very difficult administratively. It will disturb the Act. Our purpose is to make it administratively possible. Otherwise, it will not be possible. It will completely extend the whole range of the Act.

SHRI LOBO PRABHU : Sir, on a point of clarification. The Minister said that a large number work on the premises. He implied some though not all. Is it his intention to cover those who do not work on premises?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I said it by way of an example. What we intend to do is we want to cover the commission agents also under this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall put all the amendments to the vote.

Amendments Nos. 4 to 8, 45 and 54 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—(Amendment of section 6)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I move :

Page 2, line 14, for "thirty days" substitute "forty days" (17)

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Moradabad) : I move :

Page 2, line 14, for "thirty days"

substitute—forty-five days" (29)

श्री शिव चन्द्र भा : उपाध्यक्ष जी इस क्लॉज में यह व्यवस्था है कि जो शाप का मालिक है, जो भी परिवर्तन होगा उस की सूचना वह बाकायदा फार्म में भर कर इंस्पेक्टर को देगा और इंस्पेक्टर उस को घाने यहां बाकायदा दर्ज कर लेगा वर्तमान एक्ट के मुताबिक इस काम के लिये अभी तक 15 दिन का समय दिया गया था, इस संशोधन से आप उस को 30 दिन करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि

[श्री शिव चन्द्र झा]

यह 30 दिन के बजाय 40 दिन कर दिया जाय। यह ठीक है कि शाप-ओनर्स कैपिटलिस्ट हैं, पूँजीपति हैं, उन्हें ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत से छोटे दुकानदार भी हैं। यदि आप क्लास स्टगल चलायेंगे तो आप को छोटे दुकानदारों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वे इतने मेटिकुलस नहीं होते, समय के मुताबिक अभी नहीं चल पाते। इस लिए उन को लाइन में लाने के लिए यह समय कम है, उन को 40 दिन का समय दिया जाना चाहिए। जो भी परिवर्तन उन के वहां हो, 40 दिन के अन्दर फार्म भर उस की सूचना इस्पेक्टर को दें।

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 40 की जगह 45 दिन चाहता हूँ। वैसे तो 30 दिन भी काफी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के वर्तमान ढाँचे को देख कर मैं चाहता हूँ कि 45 दिन कर दिया जाय। अगर मंत्री महोदय अपने आफिस की मर्शानरी को देखें, तो उन को मालूम होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि मजदूर फार्म भर कर भेजेगा, लेकिन फाइल पड़ी रहेगी, जब इस्पेक्टर के सामने फाइल आयेगी, तो फिर वह उस की जाँच करेगा, एक तरह से यह एक लम्बा काम है। ऐसी हालत में वह मजदूर बेचारा असमंजस में पड़ा रहेगा कि परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, एक बड़े आदमी को तो अपने को व्यवस्थित करने में देर नहीं लगती है, लेकिन एक गरीब आदमी को परिवर्तन के अनुसार अपने को व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए इस परिवर्तन के लिए 45 दिन का नोटिस चाहिये, 15 दिन गवर्नमेंट की लापरवाही के लिए और 30 दिन उस काम को करने के लिए।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस काम के लिए 15 दिन नियत हैं। अनुभव से ऐसा देखा गया है कि 15 दिन

के अन्दर यह काम नहीं हो पाता है, इसलिए 30 दिन का सुझाव दिया गया है। इससे अधिक दिनों की प्रशासकीय दृष्टि से कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है क्योंकि 30 दिन में यह काम किया जा सकता है। इस लिए 30 दिन ही पर्याप्त हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put amendments 17 and 29 to the House.

Amendments Nos. 17 and 29 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 3 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4—(Substitution of new Section for Section 10)

SHRI SHRI CHAND GOYAL : I beg to move :

Page 2, line 21,—

Omit, "half" (10)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 2, line 19,—

for "five" substitute "two and a half" (18)

Page 2, line 23,—

after "employer" insert—

"after due consultation with the employees or their representative" (19)

Page 2, lines 25 and 26,—

for "for a period of not less than three months"

substitute "till the employer in consultation with the

employees decides otherwise" (20)

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I beg to move :

Page 2, line 19,—

after "employee" insert—
"without his consent" (30)

Page 2, line 23,—

after "employer" insert—
"with the consent of the employee" (32)

Page 2, lines 25 and 26,—

for "for a period of not less than three months"

substitute—"till the employer intimates otherwise at least a week before" (33)

SHRI MOHAMMED ISMAIL : I beg to move :

Page 2, line 19,—

for "five hours" substitute—"four hours" (46)

Page 2, lines 21 and 22,—

for "half an hour" substitute—"one hour" (47)

Page 2, lines 25 and 26,—

for "three months" substitute—"one year" (48)

SHRI LOBO PRABHU : I beg to move :

Page 2, lines 25 and 26,—

for "for a period of not less than three months"

substitute—

"till a change is approved" (55)

SHRI SHRI CHAND GOYAL : My amendment No. 10 suggests the omission of "half" from line 21, in sub-clause (1). The interval of half an hour does not serve any useful purpose. It should be one full hour. In the Government offices usually the interval is half an hour because the Government employees bring their meals with them or there are some canteens, restaurants, etc. near about. But in the case of shops and commercial establishments there is no such arrangement by the owner or proprietor. Half an hour is not enough to go home, take meals and come back. Invariably between 1 and 2 P.M. there is no rush of business and they are invariably lean business hours. Therefore, this interval can be easily increased from half to one hour, so that the employees can go home, have their meals and come back for duty. Otherwise, if it is just half an hour, they cannot go home for means and they will be confined to their shops. Therefore, I submit with all the emphasis I can command that this interval should be increased to one hour.

श्री शिव चन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला संशोधन है कि 5 घंटे की जगह ढाई घंटे रखना चाहिए। दूसरे संशोधन में मैंने कहा है—

"after due consultation with the employees or their representative"

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि तीन महीने के स्थान पर यह कर दिया जाये कि जब तक एम्प्लायर और एम्प्लायी मिल कर कोई दूसरा फैसला न कर लें। मुझे मालूम नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप ने कारखाने में काम किया है या नहीं, लेकिन मैंने किया है। कैलिफोर्निया में आठ घण्टे ही नहीं, बारह और बारह घण्टों से ऊपर भी काम किया है। कैलिफोर्निया कारबाइड कारपोरेशन में काम किया है जिस पर यूनियन का कब्जा था और यूनियन के नियमों के मुताबिक काम करना पड़ता है। हर ढाई घंटे पर इंटरबल मिलता था और यह स्टैंडर्डाईज कर दिया गया है दूसरे कंट्रीज में, उन में भी जो कंपिटलिट कंट्रीज हैं। हिन्दु-

[श्री शिव चन्द्र भा]

स्तान की एकान्त्री भी कैपिटलिस्ट है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि किस कंवेंशन के मुताबिक, इंटरनेशनल कंवेंशन इंटरनेशनल लेबर कांफरेंस के मुताबिक, आप ने यह फैसला किया कि पांच घंटे का समय रहेगा। अमरीका तक में जो कैपिटलिस्ट कंट्री है ढाई घंटे का समय रक्खा गया है। हम लोग हर ढाई घंटे के बाद कोकाकोला पीने के लिए आए थे और उस के बाद कारखाने चले जाते थे। इस लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पांच घंटे के बाद आधा घंटा मिलेगा तो फिर आखिर एक आदमी पांच, दस या पन्द्रह, कितने घंटे काम करेगा। इस लिए ढाई घंटे के बाद इंटरबल होना चाहिए। अगर इस में आधे आधे घंटे का इंटरबल कर दिया जाये तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा।

जहां पर एक घंटे ही बात कही गई है उस के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दस घंटे काम करने की बात हो तो उस को भले ही ग्यारह घंटे कर दिया जाये, बारह घंटे काम करना हो तो भले ही तेरह घंटे कर दिया जाये लेकिन उस को बीच में एक घंटे का समय जरूर मिलना चाहिए। जब हम लोग कैलिफोर्निया में काम करते थे तब बारह घंटे के बजाय तेरह घंटे लग जाते थे, लेकिन हम को बीच में एक घंटा जरूर मिल जाता था। हम लोग ट्रक में बैठ कर खाना खाने जाते थे और एक घंटे में लौटते थे। फिर यहां सिर्फ खाना खाने की बात नहीं है। जा कर थोड़ी सी चाय लोग पियेंगे और उस के बाद रेस्ट लेंगे। इस लिए ढाई घंटे के बजाय आधे घंटे का इंटरबल होना चाहिए और खाना खाने के लिए एक घंटे का इंटरबल होना चाहिये।

दूसरी बात यह कही गई कि यह समय एम्प्लायर फिक्स करेगा और चीफ इंस्पेक्टर को खबर कर देगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर एम्प्लायर फिक्स करेगा यह समय तो

क्या मजदूरों से सलाह करने की जरूरत नहीं है? अगर इस तरह से हो तो ट्रेड यूनियन आम्बोलन का मतलब क्या है? आप जो कुछ आगे जा कर कहते हैं उस का मतलब तो यह होगा कि उस में ट्रेड यूनियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वहां पर एम्प्लायीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा जो सलाह दे सके। इस लिये उपयुक्त यह होगा कि जहां आप यह कहते हैं कि इंटरबल का टाइम एम्प्लायर फिक्स करेगा वहां आप यह कर दें कि एम्प्लायीज या उन के रिप्रेजेंटेटिव की सलाह ले कर फिक्स किया जायेगा, यानी छः घंटे के बाद या तीन घंटे के बाद या कितना हो।

फिर इस के आगे यह भी देखिये कि यह लागू कब तक रहेगा। सब क्लाज 2 में आप कहते हैं कि यह तीन महीने तक लागू रहेगा। मान लीजिये कि तीन महीने के अन्दर एम्प्लायीज को अप्रसन्नता होती है और वह नियमों में परिवर्तन चाहते हैं और एम्प्लायर भी चाहता है कि नियमों में परिवर्तन हो, तब भी क्या आप उस को तीन महीने तक ही लागू करेंगे? दूसरे रूप में मान लीजिये कि यदि एम्प्लायर और एम्प्लायी दोनों सैटिस्फाइड हो और चाहें कि यह सिलसिला छः महीने तक चलता रहे, तब भी क्या उस को तीन महीने बाद बदल दिया जायेगा? इस लिए मैंने संशोधन दिया है कि यह तब तक चले जब तक एम्प्लायर और एम्प्लायी कोई दूसरा फैसला न कर लें। वह चार महीने तक, पांच महीने तक, एक महीने तक जब तक चाहें चलायें। इस तरह से ट्रेड यूनियन की बात और मजदूर की आवाज को कारखाने में लागू करने की बात भी पूरी हो जाती है और आप के विधेयक का मतलब भी पूरा हो जाता है।

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय,

मेरा कहना यह है कि यह ठीक है कि लगातार काम पांच घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए मैं इस से सहमत हूं, लेकिन अगर कोई काम ऐसा आ गया है जिसमें मजदूर भी सहमत हो और वह समझता हो कि मेरा भी कुछ लाभ हो जायेगा, या दोनों समझते हों कि समय न बढ़ाने से हानि हो जाने की सम्भावना है तो उस को समय बढ़ा लेने का अधिकार होना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिये एक हलवाई के यहां एक नौकर काम कर रहा है और उसने हलवा बनाने के लिए सूजी कढ़ाई में डाल दी है, लेकिन इतने ही में उस का पांच घंटे का समय पूरा हो गया है, अब वह सोचता है कि वह उसमें शरबत डाले या न डाले, हलवा तैयार करे या न करे। अगर वह चला जाता है कढ़ाई छोड़ कर तो सब मामला खत्म हो जाएगा और माल खराब हो जायेगा। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि कि व्यवहारिक बात होनी चाहिए, अव्यवहारिक बात नहीं होनी चाहिए। मैंने तो एक उदाहरण दिया है। ऐसे अनेक काम हो सकते हैं जो पांच घंटे पूरे होने के बाद दस या पन्द्रह मिनट में पूरे हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा काम आ जाय जो बहुत ही जरूरी हो, मजदूर भी सोचे कि उस को अतिरिक्त पैसे मिल जायेगा और मालिक की भी मर्जी हो, ऐसी स्थिति में समय थोड़ा बढ़ा लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मैं एक कठिनाई की ओर संकेत करना चाहता हूं। आज दुर्भाग्य से मालिक और मजदूर के सम्बन्ध खराब हो गये हैं, नहीं तो आज से कुछ दिन पहले दोनों में पिता और पुत्र का सम्बन्ध रहता था। दोनों एक दूसरे के हित की बात सोचते थे, मगर बाद में पूँजीवादी मनोवृत्ति के कारण उन के सम्बन्ध खराब हो गये। मजदूर अगर मालिक का ध्यान न रखे या मालिक मजदूर का ध्यान न रखे तो दोनों का काम नहीं

चलेगा। इस लिये मैं कह रहा हूं कि अगर मजदूर सहमत है काम पूरा करने के लिये तो उस को समय बढ़ा कर काम कर लेने देना चाहिये, लेकिन उस के पश्चात् उस को समय अवश्य मिलना चाहिये आराम और भोजन के लिए।

एक बात मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि इन्स्पेक्टरों को इस बारे में कोई चिन्ता नहीं है की मजदूर को पांच घंटे काम करने के बाद छुट्टी मिलती है या नहीं। उसे इस बारे में खिच नहीं होती। इन्स्पेक्टर तो एक बात में ही खिच रखता है कि कहां पर मजदूर कि छुट्टी जरा देर में हो और वह दुकानदार की गर्दन पर हाथ रख सके कि लाओ रिषवत दो। वह मजदूर की बात भी नहीं करेगा की उस का भला होता है या नहीं, वह तो इस में खिच रखता है कि उस कि पाकेट का भला होना चाहिये। आप इस में लूप होल दे रहे हैं इस से बहुत गड़बड़ हो जायेगी और इन्स्पेक्टरों के लिये करप्शन का रास्ता खुल जायेगा, साथ ही मजदूर और मालिक के रिलेशन्स भी खराब होंगे। यह ठीक है कि मालिक मजदूर की मर्जी के खिलाफ पांच घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकता इसलिये आप यह नियम रख दें कि पांच घण्टे के पीरियड को बिना मजदूर की मर्जी के नहीं बढ़ाया जा सकता।

दूसरा संशोधन मैंने रेस्ट और मीलस के सम्बन्ध में रखा है। आप ने आराम और भोजन के लिये आधे घंटे का समय रक्खा है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या वह दोनों काम आधे घंटे में कर सकता है खाना भी खाये और आराम भी करें। अगर आप केवल आराम की बात कहते तो ठीक था। लेकिन आप ने साथ में भोजन की बात भी कही है। मैं पूछता हूं और ईमानदारी से बतलाइये कि क्या आप आधे घंटे में यह दोनों काम कर सकते हैं? काम से छुट्टी करने में पांच साथ मिनट लग जाते हैं। इस लिये मैं

[श्री शिवचन्द्र भा]

कहता हूँ कि जब आप आराम देने की बात सोचते हैं तब आप ने जो घंटा बंटा रखा है उस को एक घंटा कर दीजिये।

इसी के साथ साथ साथ आपने यह भी लिखा है :

"The time for such interval shall be fixed by the employer and intimated to the Chief Inspector..."

इंटरवल के बारे में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसमें मालिक का सम्बन्ध भी आता है। और मजदूर का भी आता है। अगर मालिक मजदूर की सहमति से परिवर्तन करता है तो इस में आपत्ति की क्या बात है। यदि उसकी भी सलाह वह ले लें और तब परिवर्तन किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और उनके आपसी सम्बन्ध भी अच्छे होंगे।

SHRI LOBO PRABHU : I happen to be in the company of my hon. friend Shri Shiv Chandra Jha in respect of my amendment. Both of us agree that the period of 3 months should not be fixed but that it should be till such time as the parties desire a change. The reason for that has been given by my good friend, Shri Tyagi, that the official is all the time waiting to get advantage of the difficulties of the employer. If you fix the period of 3 months, he has a chance every 3 months to renew his demands on the employer. Therefore, there is no reason at all to fix the period of 3 months. It will be enough if we say it will be till such time a change is desired by the parties concerned.

I want to say one thing more. This Government is a people's Government. This Government is likely to seek the verdict of the people. There may be a mid-term poll or a poll in 1972. What is this Government going to tell the people who are harassed by officials in the name of socialism? You bring in so much legislation and you add so many complications. You are going to make the people of Delhi disgruntled with you. Not a single shop-keeper is going to think you for adding all these complications. I ask you here and now to think about it. Whether it should be half an hour and an hour for rest and meals is a

matter for agreement between the parties. Where there is an agreement between the parties, we need not follow a British practice or any foreign practice that no worker should work for more than 5 hours at a time: It may be better to work for 6 hours at a time or to do 8 hours in two shifts.

All these things are absolutely inappropriate and these are also brought in thoughtlessly without thinking how it is going to affect the relations between the employer and the employee.

श्री मुहम्मद इस्माइल : हाफ आवर का जो रेस्ट आपने रखा है वह कम है। मैं त्यागी जी की बात से सहमत हूँ कि आध घंटे में वह क्या आराम कर सकता है और क्या खाना खा सकता है। इस वास्ते एक घंटे का मेरा भी एमेंडमेंट है और मैं चाहता हूँ कि इसको मान लिया जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक आदमी को सोलह सतरह घंटे तक काम करना पड़ता है। कई दुकानें तो पाँच बजे ही खुल जाती हैं और हलवाई की दुकान तो सारी रात ही खुली रहती है। रात में दो तीन बजे ही उसको खोल दिया जाता है। वहाँ पर भी यह मसला पैदा होगा। हमारा कहना यह है कि पाँच घंटों के बाद एक घंटे का रेस्ट उसको मिलना चाहिये। अगर आपने ऐसा किया तभी हलवाई के यहाँ या होटल में कोई काम करता है तो उसको सुविधा मिल सकती है। कुल मिला लर अढ़ाई घंटा भी ले सकता है, इसका भी उसको अधिकार होना चाहिये। बीच में भी ले सके, इसका भी उसको कानूनी तौर पर हक होना चाहिये।

तीन महीने का सवाल भी इसमें आ जाता है। इसके बजाय मैंने एक साल रखा है। जो नियम बने सरकारी इंस्पेक्टर को इनफार्म उसके बारे में किया जाए और वह तीन महीने नहीं एक साल चले। ऐसा नहीं होना चाहिये कि मालिक प्रोर नोकर मिल कर इसके बारे में फैसला कर लें। बल्कि वह कानूनी तौर पर

किया जाना चाहिये। पांच घंटे में एक घंटे का रेस्ट और जो तय हो वह कम से कम एक साल चले और उसके बारे में इंस्पेक्टर को इतिला दी जाए। पांच घंटे के बाद या दस घंटे के बाद रेस्ट के बारे में बात-चीत करके एम्प्लायी तय कर सके, इसका अधिकार तो उसको हो। लेकिन पांच घंटे के बाद उसको एक घंटे का रेस्ट अवश्य मिले। अगर वह चाहे कि पंद्रह घंटे के बाद तीन घंटे एक साथ ले ले तो इसका भी अधिकार उसको रहना चाहिये। लेकिन उसके साथ तीन महीने की जगह एक बरस तक बह लागू रहे। ऐसा किया गया तभी लोगों की समझ में यह आया। परिवर्तन कोई लाना हो तो उसको बाद में लाया जा सकता है।

श्री भागवत झा आजाद : इसमें यह कहा गया है कि आध घंटे का रेस्ट दिया जाए और पांच घंटे के बाद दिया जाए। हमने यह नहीं कहा कि पांच घंटे के बाद ही मिलेगा। हमारा यह नियम है कि पांच घंटे तक काम करने के बाद उसको आध घंटा रेस्ट अवश्य दिया जाए। इसका यह अर्थ नहीं कि पांच घंटे के पहले उसे रेस्ट नहीं और अगर आपस में करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे। यह भी इसका अर्थ नहीं है कि आध घंटा ही उसको रेस्ट मिले। आप देखें कि अगर कोई दुकान दस बजे या नौ बजे खुलती है तो चार बजे के बाद यानी एक बजे लंच होता है और उस अवस्था में उसको चार घंटे के बाद ही रेस्ट मिल जाता है। हमने यह कहा है कि पांच घंटे लगातार काम करने के बाद उसे आध घंटा आराम देना पड़ेगा। इस तरह से दोनों बातें परमिसिबल हैं।

आप व्यवहारिक रूप में भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां दिल्ली में ऐसी दुकानें हैं जहां पर चार घंटे के बाद ही रेस्ट मिलता है और वह रेस्ट आध घंटे का नहीं, एक घंटे का भी है। कानून ने जो कहा है वह यही कहा है कि पांच घंटे के बाद उसे आध घंटे का रेस्ट अवश्य मिले। आपने कहा है कि

मेल विलाप से इसको करने क्यों नहीं दिया जाता है और पांच घंटे बाद भी उसको बिना रेस्ट के काम क्यों नहीं करने दिया जाता है ? इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पांच घंटे के बाद ऐसा देखा गया है कि उसके स्वास्थ्य पर और काम करने की प्रणाली और उसकी क्वालिटी पर असर पड़ता है। यह जो बात हमने की है यह कोई नई नहीं की है। इससे भी अधिक कठिन काम जो करते हैं, फॅक्ट्रीज में और माइज में, वहां भी यह प्रथा है, माइज एक्ट में भी यह प्रथा है। श्री भा ने पूछा है कि किस कन्वेंशन के अनुसार यह आप करते हैं ? फॅक्ट्रीज में या माइज में जहां इससे भी अधिक कठिन काम होता है वहां पर मैक्सिमम पांच घंटों के बाद आध घंटा रेस्ट की व्यवस्था है। यह हमने वहां से ही लिया है। यह मिनिमम है। लेकिन साधारणतया व्यवहार में पांच घंटे से कम पर भी रेस्ट मिलता है और आध घंटे से अधिक मिलता है। हमने यही व्यवस्था की है कि पांच घंटे के बाद आराम अवश्य दिया जाए। त्यागी जी ने कहा है कि वह हलवाई का सूजी हलवा बीच में छोड़ कर भाग सकता है। इसी वास्ते तो यह जरूरी है कि हलवाई होशियार रहे और चार घंटे में बनवा ले, पांच घंटे के बाद न बनवाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put amendment No. 10 standing in the name of Shri Shri Chand Goyal to the vote of the House.

Amendment No. 10 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put amendment No. 18 in the name of Shri Shiva Chandra Jha to the vote of the House.

Amendment No. 18 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put amendments Nos. 19 and 20 in the name

[Mr. Deputy-Speaker]

of Shri Shiva Chandra Jha to the vote of the House.

Amendments Nos. 19 and 20 were put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : I will put the rest of the amendments to the vote of the House.

Amendments Nos. 30, 32, 33, 46 to 48 and 55 were put and negatived.

15.00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, the question is :

"That Clause 4 stand part of the Bill,"

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

CLAUSE 6 (*Amendment of section 21*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Lobo Prabhu, are you moving your amendment ?

SHRI LOBO PRABHU : Yes, Sir.

I beg to move :

Page 3,---

Omit : Lines 2 to 4. (56)

My amendment is an important one. This clause, Clause 6, relates to a new creation, the introduction of Trade Unions in this particular case of relationship between the employees and employers. This act has been in existence since 1954. There is no evidence anywhere that the employees have lacked support in respect of their grievances that they now require a trade union to represent them. Can the Minister point out any instance where he has received complaints where the employees found it difficult to represent their cases ?

I wish to say one thing which should have been said by every one that the Bill which affects the whole economic life of Delhi should have been circulated for eliciting public opinion. This is a Bill which is

going to affect the whole economy of the capital city of Delhi and without giving a chance to the people concerned to express their point of view, we are enacting something. This particular point I emphasise because you have no evidence to say that employees found it necessary to have a trade union. I am not, as may be imagined by my good friends, an opponent of trade union. I am certainly an opponent of trade unions which are too many, competing among themselves, and not thinking of the interest of labour, but only thinking of the interest of the unions themselves.

Now I want to put this to you. All these people are already represented by the trade and now you are going to have a third union for the whole of the shops and establishments; it will probably be the biggest trade union for the whole country. I would suggest to my leader that the Swatantra party may also enter the field of trade union. Are you going to entrust the life of every petty shop-keeper, every trader, every businessman into the hands of this trade union ? Every small dispute may assume the proportion of an industrial dispute and the workers may go on strike. This is what you are introducing, without giving one reason why trade union should be introduced in a sphere in which it did not exist for 15 years.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : It is not a question of introducing trade union. Trade unions are there. Under the present Act he has got a right to appeal only through him if he is paid less or not paid. By the present amendment we say that the employee who is illiterate, who is paid less or not paid, can do it through the trade union and he can authorise it in writing to act on his behalf. We are doing a very good thing. We are giving this right to the employee who has not been paid. When he cannot read and write he can authorise the trade union to act on his behalf, and he gives the authorisation in writing. I hope my hon. friends will accept this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put amendment No. 56 to the vote of the House.

Amendment No. 56 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

That clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

CLAUSE 7—(Amendment of section 22)

SHRI SHRI CHAND GOYAL : I beg to move :

Page 3, line 9, —

for "an" substitute "a shop or commercial."

Page 3, line 11,—

omit "continuous" (12)

Page 3, line 18,—

omit "continuous" (13)

Page 3, line 22,—

omit "continuous" (14)

Page 3, line 25,—

omit "continuous" (15)

Page 3, line 35,—

omit "however," (16)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 3, line 12, —

for "fifteen" substitute "thirty" (21)

Page 3, line 15,—

for "twelve" substitute "fifteen" (22)

Page 3, line 19,—

for "five" substitute "seven" (23)

Page 3, line 23,—

for "one day's" substitute "two day's" (24)

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I beg to move :

Page 3, line 23,—

after "days's" insert "sickness or" (25)

Page 4, line 4,—

add at the end—

"or ninety days, whichever is less" (26)

Page 4, line 6,—

omit "not" (27)

Page 4, line 6,—

after "accumulated" insert—

"upto thirty days" (28)

SHRI MOHAMMAD ISMAIL : I beg to move :

Page 3, line 11,—

for "twelve months' "--substitute-- "two hundred and forty days" (49)

SHRI DEVEN SEN (Asansol) : I beg to move ;

Page 3,—

after line 15, insert—

"(c) to gratuity at the rate of fifteen days wages for every year of service." (51)

Page 3,—

after line 15, insert--

"(c) to free quarters or fifteen rupees per month as rent in lieu thereof : (52)

SHRI SHRI CHAND GOYAL : My amendments Nos. 12 to 15 suggest the omission of the word 'continuous'. This relates to the granting of privilege leave, sickness or casual leave to the employees. If an employee puts in twelve months' continuous work, then he is entitled to 15 days' privilege leave and sickness or casual leave for a total period of 12 days after comple-

[Shri Shri Chand Goyal]

ting twelve months' continuous work ; similarly, after every four months' continuous work, he is entitled to five days' privilege leave and one day's casual leave for every month. I am suggesting that the word 'continuous' be omitted, because this will create a lot of complications. Suppose an employee works not for 12 months but say a week less than 12 months, then it may not be considered to be all continuous work for 12 months and he may be deprived of the entire advantage of the privilege leave being granted to him or sickness or casual leave being granted to him. Even without the addition of the word 'continuous' 12 months' work should be enough to entitle him to 15 days' privilege leave and 12 days' sickness or casual leave.

Similarly, the word 'continuous' is superfluous where it is said that after four months' continuous work, he will be entitled to five days' privilege leave and one day's casual leave for every month. The word 'continuous' may create complications and put hurdles in the way of an employee from getting his due in the form of privilege leave or sickness or casual leave.

SHRI RANGA (Srikakulam) : How does he count the 12 months ?

SHRI SHRI CHAND GOYAL : 12 months' work should be quite enough. Why should the word 'continuous' be there ? That word may complicate matters, because it will be interpreted strictly in the sense of 365 days in a year and 120 days in four months.

I have also suggested the omission of the word 'however' from page 3, line 35. The provision as it stands reads thus :

“(1V) (i) Privilege leave to which an employee is entitled under clause (a) of sub-section (1) or under any such law, contract, custom or usage, award, settlement or agreement as is referred to in section 3, or any part of such leave, if not availed of by such employee, shall be added to the privilege leave in respect of any succeeding period to which he is so entitled, so however, that the total period of such privilege leave which

may be accumulated by such employee shall not at any one time exceed three times the period of privilege leave....”.

The word 'however' seems to be superfluous and makes no sense. In fact, grammatically also, it does not fit in here. If the word is omitted, then it will read :

“...so that the total period of such privilege leave which may be accumulated by such employee shall not at any one time exceed....”.

I think this word has crept in by inadvertence or mistake, and I suggest that this be omitted.

श्री शिवचन्द्र झा : उपाध्यक्ष जी, मेरा एक तो संशोधन यह है कि 12 महीने कांटीन्युअस काम करने के बाद 15 दिन की छुट्टी देने का प्राविजन आपने किया है, मैं चाहता हूँ कि 15 को 30 बना दिया जाय। सिकनेस और कंजुअल लीव के लिए नाट लेस देन 12 डेज जहाँ लिखा है उसको 15 कर दिया जाय। इस के बाद जो एम्प्लॉई चार महीने तक कांटीन्युअस काम करता है वह एन्टाइटिल्ड है नाट लेस देन 5 डेज प्रिविलेज लीव, उस को मैं चाहता हूँ 7 दिन कर दिया जाय और 1 महीने के बाद 1 दिन का जो कंजुअल लीव है उस को दो दिन का दिया जाय। अभी गायल जी ने कहा, कांटीन्युअस जो शब्द है उस का उन्होंने कुछ इंटरपेटेशन ऐसा किया कि 365 दिन लगातार काम करना पड़ेगा। हकीकत में इस विषयक में जो है उस में किसी भी छुट्टी के दिन वह बन्द रहेगा या और इस तरह की चीजें होंगी तो कांटीन्युअस के अन्दर यह सब छुट्टियाँ इन्क्लूडेड रहेंगी। आर्टीमेटिकली यह एक कांटीन्युअस जो है, जो साल में काम करने का समय है वह समझा जायेगा और इसीलिए हम लोग 12 महीने काम करने का मानी यही लगाते हैं। उस में कांटीन्युअस का मतलब यह नहीं है कि तीसों दिन या लगातार 365 दिन। ओर आम तौर पर जालू चीजें होती

है वह उस का मतलब होगा। इसलिए वह विवाद का विषय नहीं है। अब सवाल यह है कि 15 दिन जो ग्राप दे रहे हैं 12 महीने काम करने के बाद यह कम है, इसे 1 महीना करना चाहिये। जो एम्प्लोई साल भर काम कर चुका है उस को एक महीने का प्रिविलेज लीव मिलना चाहिए। सिकनेस और कैंजुअल लीव 12 दिन का दे रहे हैं, इस में भी कोताही कर रहे हैं। 12 दिन के बजाय 15 दिन दीजिए। वह ठीक रहेगा। इस के बाद 4 महीने के बाद 5 दिन की छुट्टी देते हैं वह सात दिन की मिलनी चाहिए और एक महीना कांटीन्युअस जो एम्प्लायड है उस को एक दिन के बजाय दो दिन की छुट्टी दीजिये। मैं फिर यह कहना चाहता हूँ, उन्होंने पहली दफा कि माइन्स मैं ऐसा है पांच घण्टे काम करने के बाद जा कर के ग्रावे घण्टे का इन्टरबल है और माइन्स में जो लेवर कान्फरेंस के फंसले हैं उस के मुताबिक हम काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि उस में भी सुधार करना होगा। लेकिन वह बात दूसरी है, उसमें मैं इस समय नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि किस बेरोमीटर से, किस स्टैंडर्ड से 12 दिन हो या 2 दिन या 5 दिन हो यह आप ने तोला है। मैं दूसरे बेरोमीटर से देख रहा हूँ। जो दूसरे विकसित देश हैं, पूँजीवादी विकसित देश हैं वहाँ जो आम तौर पर व्यवहार में लाया जाता है, बहुत हद तक आप को मानना होगा कि वह साइटिफिकली बेस्ड है। इसीलिए मेरे संशोधन जो हैं उनको आप मंजूर कर लेंगे तो ज्यादा मीनिंगफुल आपका विवेक हो जायगा और आप ज्यादा एग्जीशिएट किये जायेंगे।

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Unless the word 'continuous' is defined, it will create a lot of confusion. If it is omitted, it will not serve the purpose of the Bill. The expression will wear 'twelve months' and the word continuous employment, will be subjected to interpretation by the courts. In certain enactments, this has been done. If the word

'continuous' means and includes also a small break of two or three days in service or 240 days of employment in a year or includes some leave taken on account of sickness and other things, that has to be clarified. Unless this is clarified in this manner, it will lead to a lot of complications. I do not think it was the intention of the Minister when drafting the Bill that it should be strictly 360 days of continuous service without break and then only the benefit will accrue. In normal circumstances, he must work for one year. But if due to some emergent circumstances he cannot work for two or three days or something like that, that should not be deducted from the total period for the purpose of calculation. I think some sort of liberal interpretation should be given. If under certain circumstances a person has worked for 1240 or 260 days in a year it should be treated as continuous. Therefore, I would request him to bring an amendment to define what is actually meant by "continuous".

श्री कंबर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय मेरे 4 संशोधन हैं। इस में एक तो यह है कि पेज 3 पर लाइन 23 में 'डेज' के बाद 'सिजनेस और' ऐड कर दिया जाय क्योंकि एक कैंजुअल लीव है और एक सिकनेस लीव मैं चाहता हूँ कि ओर हो जाय। दूसरा संशोधन यह है कि पृष्ठ 4 के आखीर में यह कहा है कि यह जितनी छुट्टिया होगी वह 90 दिन तक जुड़ सकती है, उस से ज्यादा नहीं। और तीसरा मैंने यह कहा है जहाँ यह है कि लीव ऐडमिनिस्ट्रेशन अंडर क्लाज डी आफ सव सेक्शन 1 शैल नाट बी क्यूमुलेटेड, उस में से यह 'नाट' हटा दिया जाय। शैल बी एक्क्यूमुलेटेड ग्राप टु 30 डेज, यह होना चाहिए क्योंकि ज्यादा लीव जुड़ना भी ठीक नहीं होगा। जो वर्कर्स हैं काम करते हैं उनको रेस्ट भी चाहिए। अगर कोई वर्कर रेस्ट नहीं लेता तो उस में उतनी एफिशियेंसी नहीं आएगी। तो मैं इतना ही कहूंगा मंत्री महोदय से कि जुड़ना जरूर चाहिए लेकिन मैक्सिमम पीरियड 30 दिन का हो जायगा तो अच्छा है।

श्री मुहम्मद इस्माइल : मुझे यह कहना है कि कान्टीन्युअस के बारे में एक्सपीरिएंस यह

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

बताता है कि कान्टीन्युअस वर्ड रहेगा और इस का एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं किया जायगा तो जैसे अब तक हैं जो बड़े बड़े एम्प्लायर हैं वह 12 मन्थस का नाम ले कर जब कि ऐक्जुअली 240 डेज होना चाहिए लेकिन वह 12 मन्थस के नाम पर बड़ी बड़ी घांघलियां मचाते हैं तो वैसे ही यह शापकीपर्स भी यह कह देंगे कि 12 महीने काम करोगे तब मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। मेरा कहना है कि 12 महीने के माने हैं 240 दिन यह इन को कह दिया जाय तो शाप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के मातहत आने वाले मुआजिमों को यह मालूम हो जायगा कि 240 दिन के बाद हमारा यह अधिकार हो जायगा। यह हर एक मुलाजिम को समझना चाहिए। नहीं तो वह कहेंगे कि 12 महीने सरकार ने लिख दिया है तो 12 ही महीने होगा और उस समय झगड़ा करना पड़ेगा लेकिन वह झगड़ा कर नहीं सकेंगे। तो यह प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जो आएंगी। इसलिए यहां पर 240 डेज कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री देवेन सेन : मेरी तीन तरमीमें हैं। नं. 52 और 51 में पृष्ठ 3 पर लाइन 15 के बाद मैंने उसमें आगे और जोड़ने के लिए कहा है। एक तो यह जोड़ना है :

" (c) to free quarters or fifteen rupees per month as rent in lieu thereof."

और दूसरा यह है :

" (c) to gratuity at the rate of fifteen days wages for every year of service."

मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की राजधानी में जो दुकानें हैं यह सब दुकानें बड़े बड़े लोगों की हैं। इन में कोई गरीब दुकानदार हमें नहीं दिखता। एक तो मंत्री महोदय को इस में यह बताना चाहिए था कि दिल्ली में इन दुकानों में कितने कर्मचारी हैं और कितना उस में डाइरेक्ट लेबर है कितना इन्डाइरेक्ट लेबर है। लेकिन

इस की कुछ खबर हम लोगों के पास नहीं है। मैं यह इसलिए कहता हूं कि मैं एक मीटिंग में गया था तीन चार दिन पहले। वहाँ पर मैंने देखा कि एक एक क्वार्टर में दस पन्द्रह आदमी घुसे हुए हैं। वहाँ पर दुकानदार की तरफ से कोई क्वार्टर्स नहीं दिए गए हैं न तो भारत सरकार की तरफ से हैं न दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी की तरफ से हैं। रोज वहाँ पर गुंडाशाही, चोरी, खून और वलात्कार आदि होते हैं। इसीलिए क्वार्टर्स तो बहुत जरूरी हैं। यह मेरा तर्जुमा है आसनसोल का, यह बहुत जरूरी चीज है। जहाँ पर क्वार्टर्स दिए गए वहाँ पर स्टैब्स आफ लिविंग बदलता जा रहा है। वहाँ पर उन के बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए मिलेंगे और उन की तालीम भी होती है, यह सब चीजें वहाँ मिलती हैं। इसीलिए क्वार्टर का होना बहुत जरूरी है और क्वार्टर न दिया जा सके तो 15 रुपया दिया जाय रेंट। इस के साथ ही मेरा यह कहना है कि ग्रेजुइटी हो। नहीं तो यहां पर दस ग्यारह वर्ष काम करेगा उस के बाद मालिक निकाल दे तो कहां जायगा ? जो तलब पाता है, वह बचा नहीं सकता है, इस लिये उन को कुछ ग्रेजुइटी मिलनी चाहिये। राजधानी के कर्मचारियों के लिये यह व्यवस्था जरूर होनी चाहिये।

उन के लिये 15 दिन की छुट्टी का प्रोजेक्शन आपने इस में किया है, मैं चाहता हूं कि यह छुट्टी 30 दिन की जाय। मंत्री महोदय ने यह नहीं बतलाया कि ये सब कर्मचारी दिल्ली के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर बाहर से आते हैं। उस को यहां क्वार्टर नहीं मिलता है, बाल-बच्चों और बीवी को लेकर यहां नहीं रह सकता है, तो जब 15 दिन की छुट्टी लेकर वह अपनी बाढ़ी को जायगा तो 5 दिन तो उस के अने-जाने में चले जायेंगे, बाल-बच्चों को कैसे देखेगा, बीवी को कैसे सम्भालेगा ? इस लिये

15 दिन की जगह 30 दिन की छुट्टी होना चाहिये ।

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : The provision is that for a service of for a continuous period of 12 months he is entitled to a privilege leave for 15 days. The suggestion of some of the hon. Members is that this word "continuous" should be removed. It is nothing unusual that we have done in this Bill. This word "continuous" exists in the previous Acts and also in the other Acts which are in vogue in the labour field.

Shri Kundu asked for the meaning of this word "continuous", and enquired whether it means that if the employee falls sick for two, three or five days, his service will be counted as non-continuous. No, because he has got, apart from this privilege leave, sick leave also. That will not be considered as a broken period. Similarly, there are holidays. That will not be taken as any thing like being broken. It only means that when he does not avail himself of the sick leave, or on other grounds which are not justified he remains absent without taking sick leave, then only the service is broken. You will appreciate that if "continuous" is not there, if a man works for two months, and then he resigns and again comes into the same shop and then again goes away for another three months, what happens. So, it is necessary that "continuous" in the normal dictionary meaning should be there to entitle the employee to leave.

Apart from that, it is not that only when he completes the full twelve months that he gets leave. We have said that for every month of service he earns leave. Therefore, the employee has no difficulty if we accept the amendment. I am sorry that the amendments to this effect given by different Members are not acceptable to me.

SHRI S. KUNDU : I entirely agree with your intention which is a noble one. But about the way you put it, I apprehend there will be difficulties. If you say that even for leave and sickness and such other things a small break in service would not mean that the service is continuous, why don't you

define it and say that "continuous" means a period of 240 days or 260 days? If you did that, your intention would have been incorporated correctly. He will be entitled to these privileges only when he completes twelve months. These are not there before.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Twelve months are a much better definition than 240 days. There is another amendment also in this regard. The employees are not only entitled to this leave but also weekly rest. So, it will be administratively difficult to count the leave in the way it is counted all the other Acts; it is better to have twelve months rather than 240 days or 250 days. He asks for a definition. But this is the accepted meaning. When he takes leave for sickness, or is on holiday, these terms are completely and very clearly defined in the Labour Acts, and they do not at all mean that the service will be counted as broken service. This is the very simple meaning. Otherwise, it will create complications. Therefore, the present provision would be all right, and so, I am not in a position to accept the amendments.

Than, Shri Shri Chand Goyal said that the word "however" seems to be out of place. To me also, —I know very little of English—it seems to be so, but it has been the advice of legal draftsmen, and I would request Shri Goyal to allow this word "however".

SHRI RABI RAY (Puri) : He is also an eminent advocate.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : We have also eminent advocates and I would request one eminent advocate to accept the advice of another eminent advocate.

Therefore, "however" may be allowed to be there.

SHRI SHRI CHAND GOYAL : Who is that legal luminary who suggested "however", which makes absolutely no sense?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I am not an expert in English, but we have taken the advice of the legal draftsman who have years and years of experience. I hope it will not in any way affect the Act also.

[Shri Bhagwat Jha Azad]

Mr. Shiva Chandra Jha Wants to increase the number of days of leave. This is an Act which has an all-India basis. All other State Governments who enacted on this basis and we have been called upon to do it on behalf of Delhi. The days we have given here—privilege leave for 15 days is the statutory minimum. It is quite reasonable and it is not possible for me to increase the number of days of leave on this account.

I was tempted to accept Mr. Kanwar Lal Gupta's amendment No. 25, but I would request him not to press it because this Bill has already been passed by the Rajya Sabha and already the Delhi Metropolitan Council are very anxious that this Bill should become an Act because they have got some difficulties.

Mr. Deven Sen's amendments Nos. 51 and 52 are laudable but they are beyond the scope of the Act and I cannot accept them.

I hope, Sir, I have explained the position in regard to all the amendments.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shall I put all the amendments together ?

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Amendment No. 21 may be put separately.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"Page 3, line 12,—

for "fifteen" substitute "thirty".
(21)

The Lok Sabha divided :

AYES

Division No. 9] 15.33 hrs.

Bhagaban Das, Shri
Daschowdhury, Shri B. K.
Ghosh, Shri Ganesh
Gowda, Shri M. H.
Janardhanan, Shri C.
Jha, Shri Shiva Chandra
Khan, Shri Ghayoor Ali
Khan, Shri Latafat Ali
Kundu, Shri S.

Meghachandra, Shri M.
Menon, Shri Viswanatha
Mohammad Ismail, Shri
Molahu Prasad, Shri
Nambiar, Shri
Patil, Shri N. R.
Ray, Shri Rabi
Satya Narain Singh, Shri
Sen, Shri Deven
Shastri, Shri Ramavatar
Viswanatham, Shri Tanneti
Yadav, Shri Jageshwar
Yadav, Shri Ram Sewak

NOES

Amjad Ali, Shri Sardar
Azad, Shri Bhagwat Jha
Babunath Singh, Shri
Barua, Shri Bedabrata
Basumatari, Shri
Bhandare, Shri R. D.
Bhargava, Shri B. N.
Brahmanandji, Shri Swami
Buta Singh, Shri
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandrakar, Shri Chandulal
Dhuleshwar Meena, Shri
Dinesh Singh, Shri
Gajraj Singh Rao, Shri
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Gavit, Shri Tukaram
Girja Kumari, Shrimati
Jadhav, Shri Tulshidas
Jamna Lal, Shri
Kasture, Shri A. S.
Kedar Nath Singh, Shri
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Shri H. Ajmal
Khan, Shri M. A.
Khan, Shri Zulfiquar Ali
Kotoki, Shri Liladhar
Krishna, Shri M. R.
Kureel, Shri B. N.
Laskar, Shri N. R.
Lobo Prabhu, Shri
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahajan, Shri Yadav Shivram
Marandi, Shri
Master, Shri Bhola Nath
Meena, Shri Meetha Lal
Mishra, Shri Bibhuti
Misra, Shri G. S.
Misra, Shri S. N.

Mohsin, Shri
 Muhammad Ismail, Shri M.
 Nahata, Shri Amrit
 Naik, Shri R. V.
 Oraon, Shri Kartik
 Pahadia, Shri Jagannath
 Parmar, Shri, D. R.
 Partap Singh, Shri
 Parthasarathy, Shri P.
 Patil, Shri Deorao
 Patil Shri S. D.
 Raj Deo Singh, Shri
 Ram, Shri T.
 Ram Dhan, Shri
 Ram Swarup, Shri
 Randhir Singh, Shri
 Rao, Shri J. Ramapathi
 Roy, Shri Bishwanath
 Roy, Shrimati Uma
 Sadhu Ram, Shri
 Saigal, Shri A. S.
 Sant Bux Singh, Shri
 Sen, Shri Dwaipayan
 Shambu Nath, Shri
 Sher Singh, Shri
 Shiv Chandika Prasad, Shri
 Siddayya, Shri
 Siddheshwar Prasad, Shri
 Sinha, Shri Mudrika
 Snatak, Shri Nar Deo
 Sonavane, Shri
 Sursingh, Shri
 Thakur, Shri P. R.
 Tiwary, Shri D. N.
 Tiwary, Shri K. N.
 Uikey, Shri M. G.
 Venkatswamy, Shri G.
 Yadav, Shri Chandra Jeet

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result of the division is : Ayes : 22; Noes 79.

¶ The motion was negotied.

MR. DEPUTY SPEAKER : I will now put the rest of the amendments to the vote of the House.

Amendments Nos. 11 to 16, 22 to 28

49, 51 and 52 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 7 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

CLAUSE 8. (*Substitution of new section for section 24.*) *Amendment made*

Page 4, line 11,—

for "1969" substitute "1970". (3)
(Shri Bhagwat Jha Azad)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 8, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

CLAUSE 1.—(*Short title*)

Amendment made

Page 1 line 4,—

for "1969" substitute "1970" (2)
(Shri Bhagwat Jha Azad)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

ENACTING FORMULA

Amendment made

Page 1, line 1,—

for "Twentieth Year" substitute "Twenty-first Year"

(Shri Bhagwat Jha Azad)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Sir, I move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill, as amended, be passed."

श्री शिव चन्द्र भ्मा : उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक को पेश करते हुए मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत सिम्पुल और साधारण विधेयक है लेकिन जब इस पर बहस हुई तो उस दौरान उन्होंने भी कबूल किया, कुछ संशोधनों को लेकर कि वह उनको मंजूर करने के लिए टेम्पेट हो जाते हैं लेकिन ड्राफ्ट्समैन की बजह से वह वैसा नहीं कर पाये। इस बात से साबित होता है कि बावजूद सिम्पुल होने के यह विधेयक खामियों से खाली नहीं था। किसी भी विधेयक पर यह दावा करना कि यह बिल्कुल परफेक्ट है, में समझता हूँ किसी भी मिनिस्टर के लिए उचित नहीं होता है। लेकिन दिल्ली विधेयक कांटेक्ट लेबर का जो पास किया गया उसके मुकाबले में यह इसलिये अच्छा है कि इसमें कोई ऐसी धारा नहीं है जिससे कि सरकार हाल बिल की चीजों को नलीफाई कर दे जैसी कि कांटेक्ट बिल में एक धारा थी और जिसकी वजह से वह सारा बिल ही मॉनिगलेस हो जाता है।

इसमें यह अच्छाई है, जहां तक कि सुविधाओं की बात है कि देहली की दुकानों में जो लोग काम करते हैं उनको छुट्टी मिले और दूसरे प्रिविलेज हों। यह बातें हुई और उसके मुतालिक संशोधन पास किया लेकिन एक बात जो श्री देवेन सेन ने उठाई थी उनके क्वार्टर्स के मुतालिक उसको में फिर दोहराना चाहता हूँ। ग्राम तौर पर दिल्ली में रहने की, आवास की बहुत बड़ी दिक्कत दुकानों के जो कर्मचारी है उनके लिए भी है। इसलिए सरकार को इस पर जरूर विचार करना होगा कि उनके लिए

यहां पर क्वार्टर्स की व्यवस्था की जाये। सरकार पहले तो एम्प्लायर्स, दुकानदारों को ही मजबूर करे कि वे अपने कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था करें और अगर वे व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि उनके रहने के लिए कामन क्वार्टर्स की व्यवस्था करे। यह काम बहुत ही जरूरी है। दिल्ली ही नहीं, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों की आधी धावादी फुटपाथ पर सोती है तो फिर दिल्ली में दुकानों के जो कर्मचारी हैं वे कहां सोते होंगे, इस बात को आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं। फुटपाथ पर सोते हैं जैसे कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि में लोग सोते हैं मैं स्वयं फुटपाथ पर सो चुका हूँ इसलिये मुझे उसका तजुर्बा है। लेकिन इस विधेयक में आवास की व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

इसी तरह से जो दुकानों के कर्मचारी हैं उनके खाने पीने की समस्या का सवाल है। जैसा कि कहा गया कि हलवाइयों के यहां उनके खाने की व्यवस्था हो जायेगी लेकिन वह बात नहीं है, इसमें उनके खर्च करने का भी सवाल है जो कि मुनासिब होना चाहिए। मेरा कदना है कि जिस तरह से बम्बई में कापेरेशन यानी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मजदूरों के लिये स्क्वायर मील की व्यवस्था की जाती है उसी प्रकार से दिल्ली में भी सरकार की तरफ से तीन चार जगह कानॉन्स स्क्वायर मील की व्यवस्था होनी की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर कि दुकानों के कर्मचारियों को उचित दाम पर खाना मिल सके।

इसके अलावा उन कर्मचारियों की सोशल गैररिज के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर हिप्पीज की बहुत भरमार हो गई है और

इस तरह से दूसरे डाइवर्जेंस हैं जहाँ पर उनका दिमाग बहक जाता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि उनकी सोशल गैदरिगज के लिये हात्स की व्यवस्था करे। क्वार्टर्स की बात तो अलग है। उसके अलावा उनकी सोशल गैदरिगज के लिए हात्स की व्यवस्था की सरकार की तरफ से होनी चाहिये। खास तौर पर दुकानों के जो कर्मचारी हैं उनके लिये अलग से सोशल गैदरिगज की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ उसके लिये लाइब्रेरी की व्यवस्था भी होनी चाहिये। इन सब बातों पर ध्यान देने से मैं समझता हूँ यह विधेयक और भी ज्यादा मतलब वाला होता। वैसे तो जो बातें कही गई हैं मोटे तौर पर हम उनका स्वागत करते हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ परन्तु एक आध बात काशन के रूप में कहना चाहता हूँ जिन पर केन्द्रीय सरकार को भी और दिल्ली प्रशासन को भी अमल करना चाहिये। दिल्ली केवल एक शहर ही नहीं है, उस में 250 या 300 गांव भी हैं, बहुत सी छोटी छोटी वस्तियां भी हैं। कुछ भाइयों को इम्प्रेशन है कि दिल्ली के अन्दर केवल बड़ी बड़ी दुकानें हैं। कनाट प्लेस में बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, लेकिन ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ एक आदमी काम करता है और एक उस का सहायक हो सकता है। इस लिये कुछ बड़ी दुकानों का विचार कर के सारे दिल्ली पर इस कानून को लागू करना गलत होगा। आप कुछ अधिकार दिल्ली के कर्मचारियों को दे रहे हैं वह उन को मिलने चाहिये। मगर कई बार एम्प्लायर अपने एम्प्लायीज को एक्स्प्लायट करते हैं, उन के अधिकारों पर डाका डालते हैं, उचित वेतन और सुविधायें उन को नहीं देते। यह ह्यूमन नेचर है, इन्सानो फिटरत है कई बार एम्प्लायर भी सोचते हैं कि जो अधिकार आप उन को देने जा रहे हैं उनका लाभ वह

क्यों न उठावें। इस के बाद आप ट्रेड यूनियनों को भी बहुत से अधिकार दे रहे हैं। यह भी सच है कि आज एम्प्लायी को केवल एम्प्लायर ही एक्स्प्लायट नहीं करते, ट्रेड यूनियन वाले भी उन को बहुत एक्स्प्लायट करते हैं। आज तो कुछ ट्रेड यूनियनों का काम ही है कि दोनों को एक्स्प्लायट करें। मालिकों से ब्लैक मेल मनी लेते हैं और एम्प्लायीज से ट्रेड यूनियन मनी लेते हैं।

SHRI S. KUNDU : What about the trade union movement which your party has launched ? Tell us your personal experience.

श्री बलराज मधोक : ठीक है वह भी करते होंगे। मैं उन को अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जो कोई ऐसा करते हैं वह सब निन्दा के पात्र हैं। यह सच है कि ऐसी ट्रेड यूनियन हैं जो यह काम करती हैं।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस देश में जितनी तेजी से कानून बनते हैं उतनी तेजी से यहाँ बच्चे भी पंदा नहीं होते। आप यहाँ पर फॅमिली प्लैनिंग कर रहे हैं। फॅमिली प्लैनिंग कानून बनाने के बारे में भी हानि चाहिये। इस देश में जितने कानून बनते हैं शायद दुनिया में और कहीं नहीं बनते, और इस देश में कानूनों की जितनी अवहेलना होती है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। रूल आफ ला उड़ता जा रहा है। जो कानून स्टैंडर्ट बुक में हैं उन से अमल नहीं होता। दिन दहाड़े कानून तोड़े जाते हैं। सरकार भी एक ओर लेंड ग्रेविंग को सपोर्ट करती है, अनाफी को सपोर्ट करती है, दूसरी ओर कानून बनाती है। इस लिये सरकार को सोचना चाहिये कि केवल कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा। कानून के पीछे जो एक मानवीय चीज होती है वह स्पष्ट होनी चाहिये।

यह सोचना कि केवल एक क्लास है, उसी को राइट है जो एक्स्प्लायटेड है, यह भी गलत

[श्री बलराज मधोक]

है। इस देश में एक्सप्लायटर्स भी हैं और एक्सप्लायटेड भी हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि कानून पर ऐसे ढंग से अमल किया जाये कि जो छोटे छोटे लोग हैं, जिन के यहां एक कर्मचारी है, एक सहायक है, उन को भी खामरूवाह इन्स्पेक्टर लोग तंग न करें। वास्तव में होना यह चाहिये कि जो ऐसी फँक्ट्रियां हैं जहां पांच कम आदमी काम करते और जो ऐसी फँक्ट्रियां हैं जहां पांच से अधिक लोग काम करते हैं उन के लिये अलग अलग कानून हों। यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जहां 100-100 आदमी काम करते हैं। उन के लिए अलग नियम होने चाहिएं, ग्रेचुइटी होनी चाहिए। जो ऐसे दूकानदार हैं जहां एक सहायक है, उस के लिए भी वही कानून लागू किया जाये, यह गलत है।

इस लिये मेरी प्रार्थना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन इस बात को देखे कि कानूनों पर ठीक से अमल हो। कानून तो हम ने बना दिया। अमल उस पर इन्स्पेक्टर को करना होगा। आज इन्स्पेक्टर लोग लोगों को एक्सप्लायट कर रहे हैं। आप उन को यह सुझाएँ कि इस कानून का उद्देश्य लोगों की कठिनाईयों में इजाफा करना नहीं, उन को दूर करना है। इस दृष्टि से वह लोग इस पर भ्रमल करें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, जो कानून सदन के सामने है मैं उस समर्थन करता हूँ लेकिन इस में कुछ खामियां हैं जिन की तरफ माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन दे कर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों के लिये जो कानून बनाया जा रहा है उस की ठीक से अमल में लाया जाये, इस तरफ सरकार का और दिल्ली प्रशासन का ध्यान जाना चाहिये। अब तक ऐसा होता रहा है कि

हमारे देश में, मजदूरों के हक में कर्मचारियों के हक में और किसानों के हक में बहुत से कानून बन रहे हैं, लैड सीलिंग ऐक्ट बना हुआ है, लेकिन हजारों एकड़ जमीन रखने वाले लोग भी हमारे मुल्क में कम नहीं हैं, जिन के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है। मैं आप की मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूँ की जो कानून दूकान कर्मचारियों के लिये बनाया जा रहा है, या जो संशोधन उन में किया जा रहे हैं, उन पर पूरी तरह अमल होना चाहिये। मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि पटना में दूकान कर्मचारी हजारों की तादात में हैं क्योंकि दूकान कर्मचारी संघ में काम करने मुझे वर्षों मौका मिला है। कानून बहुत बहुत बनते हैं, छुट्टियां और दूसरी सहूलियतों के लिये, लेकिन जो बड़े बड़े मालिक हैं वह उन लोगों को तरह-तरह से सताते हैं और कानूनों को अमल में नहीं लाने देते। जो इन्स्पेक्टर होते हैं वे सचमुच मालिकों से पैदा ले कर उन को छोड़ देते हैं। वे छोटे-छोटे दूकानदारों को सताते हैं चाहे वे कानून मानें या न मानें। यहां पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिये।

आप ने खुद देखा होगा कि बड़े-बड़े कानूनों का कारखानेदारों द्वारा उल्लंघन हो रहा है। मैंने शुरू में उन की ओर आप का ध्यान खींचने की कोशिश की। बैंक तो हमारे देश की घरोहर हैं, वे राष्ट्रीय सम्पति हैं, लेकिन बैंक कानूनों का भी उल्लंघन किया जाता है। ट्रेड यूनियन राइट्स के लिये बैंक के लोगों को लड़ना पड़ता है। इसके लिये बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कारबाईयां की जाती हैं, उन्हें सुअ्तल किया जाता है, जैसा अभी हाल में रिजर्व बैंक की पटना शाखा ने किया। पटना में जो पहले बिहार बैंक था और अब स्टेट बैंक हो गया है वहां नेताओं को नौकरी से हटाया गया, मुअ्तल किया गया। रिजर्व बैंक में हमारे 200 लोगों को इस तरह से

नोटिस दी गई। बी० के० मित्रा साहब को ट्रेड यूनियन ऐक्टिविटीज में लगे होने के कारण, डिमांस्टेशन ग्रीड करने के लिए मुअ्तल किया गया। यह बात दूकान कर्मचारियों के साथ नहीं होना चाहिये।

मैं काशन करना चाहता हूं कि यह ऐक्ट सही मानों में लागू हो ताकि जो अधिकार उन लोगों को दिये जा रहे हैं उनसे उनको वंचित न तो आप कर सकें और न दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन कर सके, जो कि जन संघ के हाथ में है। मुझे डर है कि जिस तरह से मधोक साहिब बोल रहे थे उस तरह से कहीं गोल माल करने की कोशिश न की जाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों को अपने पांवों पर खड़ा करने की कोशिश करें। आप उनको समझायें कि उनको वही अधिकार हैं जो दूसरों को हैं। उनको और भी सहूलियतें दी जायें जैसे उन्हें सस्ती दर पर गत्ता दिया जाये। इसके लिये हमारे श्रमिक लोग पहले भी बराबर कोशिश करते थे और आज भी करते रहेंगे। उन लोगों के लिये कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री शिवचन्द्र झा और श्री देवेन सेन ने कहा था कि उन लोगों के लिये अवास की व्यवस्था भी करनी होगी। आखिर क्या वे नारकीय जीवन ही बिताते रहेंगे? क्या भुगुग्री झोपड़ी में ही रहेंगे। यह मंत्री महोदय का काम है कि जो यहां पर आवास मंत्री हैं उनसे बात करके ऐसे लोगों के लिये कोई कालोनी बनवायें ताकि वे वहां रह सकें और समझें कि वे भी आजाद देश में हैं और सरकार उनके लिये सहूलियतें दे रही है। वे लोग तख्ताह कम पाते हैं। आप उनको खाने के लिये आधे घंटे की छुट्टी दे रहे हैं। इसे एक घंटा करें। हम पार्लियामेंट के मेम्बर छः घंटे काम

करते हैं और छः घंटों में एक घंटे की छुट्टी पाते हैं और वे लोग दस-दस और बारह-बारह घंटे काम करते हैं, उनके लिये आप आधे घंटे की छुट्टी देते हैं। यह कहाँ का न्याय है कि कानून बनाने वाले तो एक घंटे की छुट्टी लें और बारह-बारह घंटे काम करने वाले आधे घंटे की छुट्टी लें?

इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस कानून को ठीक से लागू करने के लिये पेशकश करेंगे।

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि मैंने एक अमेंडमेंट दिया था और उस को मूव करने के वक्त मैं नहीं था इस लिये थोड़ा समय लेना चाहूंगा।

मैं सरकार को धन्यावाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को यहां रखा। इस बिल में दूकानों में काम करने वाले मजदूरों को सहूलियत तो दी गई है लेकिन इस बिल को और कम्प्लोट बनाना चाहिये था। जो कस्टमर्स हैं, जो कन्ज्यूमर्स हैं, जिन के बल पर दिल्ली की दूकानें चलती हैं, उन के कुछ ग्रीवान्सेज हैं जिन की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

दिल्ली शाप इस्टैब्लिशमेंट के मुताल्लिक जो ऐक्ट बना है उसमें दूकानें कब खुलेंगी और कब बन्द होंगी इस के विषय में लिखा है कि सब को उस को मानना होगा। हम देखते हैं कि दिल्ली की दूकानें साढ़े सात बजे बन्द हो जाती हैं। हम पार्लियामेंट के मेम्बर छः बजे तक यहां बैठते हैं। उसके बाद जब तक हम बाथ रूम जा कर और स्नान करने के बाद मार्केटिंग करना चाहते हैं तब तक दूकानें बन्द हो जाती हैं। इतवार के दिन दूकानें बंद ही बन्द रहती हैं। आप देखें कि दूकानें जो जरूरी

[श्री वि० प्र० मंडल]

चीजों की हैं वे तो सात, साढ़े सात बजे बन्द हो जाती हैं लेकिन हमारे होटल बहुत देर तक खुले रहते हैं। कल टाइम्स आफ इंडिया में आपने होटल राजदूत कि तीन नवन महिलाओं के चित्र देखे होंगे, कैबरे डांस के। वहा आपने यह छूट दे रखी है कि वे रात दस बजे से स्टार्ट कर सकते हैं और बाह एक बजे तक चलते रह सकते हैं। वहां आपने उनको छूट दे रखी है कि दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहो, उन पर अटक करते रहो, उन पर जादू फेंकते रहो। मैं चाहता हूं कि गर्मियों में जो आप साढ़े सात बजे दुकानें बन्द करवाते हैं, ऐसा करके आप अगर किसी वैस्टर्न कंट्री की नक़ल करते हैं स्वामस्वाह तो वह ठीक नहीं है। कम से कम नौ बजे दुकानें गर्मियों में बन्द हों और बीच में आप दस घंटे का रेस्ट दे दें। जाड़ों में वे आठ बजे बन्द हो सकती हैं। कुकिंग गैस और मैडीसिन तक आवश्यक चीजों की दुकानें भी साढ़े सात बजे बन्द हो जाती हैं। खान मार्किट मेरी बगल में है, वहां मैंने देखा है कि वे बन्द हो जाती है और सात बजे के बाद गैस सप्लाय नहीं की जाती है और सुबह नौ बजे से पहले दुकान को खोला नहीं जाता है। यह मैं परसनल एक्सपैरीमेंस आपको बता रहा हूं। मैं राबिन्द्र नगर में रहता हूं। एक रात ग्यारह-बारह बजे मैंने अपने नौकर को दवाई लेने के लिए भेजा खान मार्किट में और उसने मुझे आ कर बताया कि मैडीसिन की सब दुकानें बन्द हैं। अब कोई कनाट प्लेस लेने के लिए जाए। ऐसा नहीं होना चाहिये

श्री ओम प्रकाश त्यागी : चौबीस घंटे खुली रहती है।

श्री वि० प्र० मंडल : आप ठीक हो सकते हैं और हो सकता है कि मेरे नौकर ने आ कर मुझे झूठ कह दिया हो। लेकिन अगर खुली

नहीं रहती हैं तो जितनी भी दवाईयों की दुकानें हैं उनके लिए यह लाजिमी होना चाहिये कि 24 घंटे खुली रहें।

दिल्ली में प्राइसिस में भी बहुत फर्क पाया गया है। भारत में मैंने कहीं नहीं देखा कि एक दुकान में एक प्राइस और बगल वाली दूसरी दुकान में उससे कहीं ज्यादा प्राइस उसी चीज की। दस दिन पहले की बात मैं आपको बताता हूं। परसनल एक्सपैरियेंस की बात है। मेरे पास एम्बैसेडर कार है। उसका स्विच खराब हो गया। मैंने ड्राइवर को भेजा और खान मार्किट से वह पच्चीस रुपये का वह पार्ट ले आया। लगवाने से पहले मैंने उसको कहा कि बगल वाली दुकान से भी इसके दाम पूछ आओ। उसने मुझे आ कर बताया कि वहां पर साढ़े उन्नीस रुपये का मिलता है। यही हालत सब्जियों के दामों की है। परवल एक जगह अस्सी पैसे किलो और दूसरी जगह तीन रुपये किलो। यह जो मनमानी चलती है दिल्ली में इसको बन्द किया जाना चाहिये इसको आप कंट्रोल करें। हर दुकानदार को आप कहें कि वह प्राइस लिस्ट का चार्ट रखे। बिल आप अमेंड करें। चार्ट लगाना लाजिमी बनाइये।

श्री प्रकाशचौर शास्त्री (हापुड़) : जन संघ वालों से कहिये।

श्री वि० प्र० मंडल : मैं गीबों की बात भी कहना चाहता हूं। दिल्ली में छोटे-छोटे बारबार फुटपाथ्स पर बैठ कर बाल बनाते हैं, शेव करते हैं। कमेटी की गाड़ी आती है और उनका उस्तरा या दूसरा सामान ले कर भाग जाती है। कनाटप्लेस में जहाँ एम्बेसी होटल है वहां एक पान वाला है पंडित जी। वह एक दिन रो रहा था। कारण यह बताया कि कमेटी की गाड़ी आई और पान की दुकान ले कर भाग गई। दो तीन दिन के बाद मैं वहां फिर गया तो उसने बताया कि दस रुपये दे कर सामान

वापिस लाया हूँ। इसको आप कंट्रोल करिये। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ इस प्रकार से मनमानी नहीं चलनी चाहिये। दामों में इतना फर्क नहीं होना चाहिये। यह जो एक्सप्लायटेशन है यह ठीक नहीं है। बेचारे विदेशी जिस भाग में जाते हैं दिल्ली के दूकानदार उनको लूट लेते हैं।

मैं सजैस्ट करूँगा कि दिल्ली शाप्स एंड एटर्बलिशमेंट्स बिल को आप वाइड बनाइये। इस तरह का एक्सप्लायटेशन, इस तरह की बेईमानी, इस तरह जो नग्न नृत्य होटलों में होते हैं, इन सबको रोकने की व्यवस्था आप करें।

SHRI S. KUNDU : I generally welcome this Bill. After a long time, some of the basic amenities of the workers have been codified here in this Bill which is going to be enacted. I welcome the privileges which have been given. But I would like to say that the Bill could have been improved much more if only the hon. Minister and taken some time to look into it more closely.

I shall give just one or two instances to illustrate my point. In the parent Act, hours of work or working hours have been defined to mean the time during which the persons employed are at the disposal of the employer. It is a funny definition that you find here. Have you ever heard that the employer determines the hours of work? I do not know how Shri Bhagwat Jha Azad who came forward to pilot this Bill missed this point. He was very much eloquent when he was going to give a rest after five hours. Unless the main provision relating to hours of work is changed or codified and limited, or you provide that hours of work shall in no case exceed eight hours and so on, giving rest after 5 hours would not be very much meaningful because the main right is not given.

Similarly, another very peculiar provision that you find is in regard to the definition of 'employee', of 'commercial establishments' and 'establishments' I think the person who drafted this Bill was one

who wanted to give just a little but take away more. The definition of 'commercial establishments' as drafted here takes out from the ambit of this Bill hotels, restaurants and such other things because they come under the purview of the Factories Act. But again they say that term 'establishment' includes shops and restaurants and hotels also.

Another funny definition is about 'employee'. Who would be an employee? An employee is a person discharged or dismissed, whose claims have not been settled in accordance with this Act and a person employed by any factory but not governed by the Factories Act, 1948. An employee would be a person who is not governed by the Factories Act. And you debar certain establishments because they come within the ambit of the Factories Act, such as hotels and restaurants etc. But have you say that the term establishment, will include restaurants and so on. It will create a lot of complications in interpretation. I am sure some cases must have gone to court, and I do not know the state of those cases.

Therefore, I would plead that some time later, the Delhi Union Territory authorities should bring forward a better Bill.

Again regarding continuous work, I bet with the hon. Minister that unless the word 'continuous' is clarified, these privileges will not be there, because if a person falls sick even for a day, it will be left to the interpretation of the courts and tribunals; some may take the view that one day's sickness leave is not a break in service; but it will open the flood-gates of interpretations with the result that some may get relief and some may not. I would suggest that you may define continuous work to mean 240 days' work or 260 days' work in a year and less than these days will not be considered continuous. In the absence of such a clarification, what will happen is that unless a person works for all the 365 days in a year, he would not get these privileges. Clearly, nobody can work for all the 365 days in a year. Therefore, the word 'continuously' will deprive the employees of their privileges. I wish

[Shri S. Kundu]

Shri Bhagwat Jha Azad had cared to see how they had defined 'continuous' in the other labour Acts. Otherwise, I do not see any reason why he should not have brought forward a similar definition here.

16 hrs.

A very important point has been made. Dethi is a cosmopolitan city, a centre of civilisation. Here we see in hotels that after 10 in the night real democratic socialism starts over pags of whisky? This goes on till 2 or 3 in the morning and then we see nude and semi-nude pictures appearing in the newspapers. I have never seen any report of any police party having raided any of these hotels in the capital. All the big moneyed fellows go hunting after these places. Some of the workers engaged in these establishments are coerced. I had occasion to read of raids on such hotels in other cities but not in Delhi. Here it is encouraged by the system. This is something horrible and I think steps must be taken to put a stop to it. Otherwise, it will completely disrupt and degrade the general standard of our moral values.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भागवत झा आजाद जैसे खुद प्राप्तिव हैं, वैसे ही प्राप्तिव उन्होंने बिल रखा है। इतना इच्छा बिल लाने के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि बिल पास हो जाते हैं, लेकिन फिर वे डेड लेटर बन जाते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कानून को पूरी तरह से, विगोरसली और रिगोरसली इम्प्लीमेंट किया जाये। यह बड़ी अच्छी बात है कि इस बिल में वर्किंग आवर्ज, छुट्टियों, सैलेरीज, यूनि-फार्मज और रेजिडेंस वगैरह का प्राविजन किया गया है लेकिन इन प्राविजन पर अमल किया जाना चाहिए। वर्किंग आवर्ज मुकर्रर किये गये हैं, लेकिन यह देखना चाहिए कि एम्पलाईज से कितना काम लिया जाता है। हम रोज देखते हैं कि दुकानें तो बन्द हैं, लेकिन अमली तौर पर वह खुली हुई है और एम्पलाईज को काम करना पड़ता है।

श्री मंडल ने बिल्कुल ठीक कहा है वर्किंग आवर्ज की वजह से कुछ तकलीफें भी हैं। आम कनज्यूमर्स को कई दफा 7 बजे के बाद कुछ खरीदने में बड़ी दिक्कत होती है; मिनिस्टर साहब बेखे कि क्या रूज में वर्किंग आवर्ज के एक्सटेंशन का कुछ प्राविजन किया जा सकता है, ताकि जेवविन केसिज में जो तक्लीफ होती है, उसको दूर किया जा सके।

न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि हर बड़े शहर में, लाखों लोगों को पटरियों पर सोना पड़ता है। सर्दियों में दर्जनों आदमियों की मौत हो जाती है। मैंने अपनी आंखों से कई लाशें देखी हैं। इस बिल से जितने लोगों को फायदा पहुंचेगा, उससे कई गुना ज्यादा लोगों को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। कल श्री शशि धूषण ने घरों में काम करने वाले नौकरों का जिक्र किया था। एम० पीज० और दूसरे लोगों के रसोइये वगैरह प्राईवेट नौकर हैं। इसके आलावा स्कूटर ड्राइवर, मोटर ड्राइवर और ठेला ड्राइवर वगैरह भी हैं, जिनको तन्स्वाह कम मिलनी है, लेकिन उनके दस्तखत ज्यादा तन्स्वाह दिखा कर लिये जाते हैं। उनके माल-कान ने अपने घर के लाज बना रखे हैं। देहात में भी मजदूर और हरिजन वगैरह कितने ही लोग हैं, जो इस कानून के एम्बिट में नहीं आते हैं। मिनिमम बेजिज एक्ट तो है, लेकिन उसको लागू कौन करता है?

यह बिल तो काम्प्रोमिस नहीं है। इस लिए मिनिस्टर साहब आगे चल कर ऐसा ही एक और बिल लायें, ताकि जो बड़ी भारी मेजागिटी इस बिल से फायदा नहीं उठा पायेगी, उसको फायदा पहुंच सके और सोशलज्म के बेसिस पर एक प्राप्तिव सोसायटी बनाने का हमारा मकसद पूरा हो सके।

मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल जब मैं इस बिल पर

बोल रहा था, तो हाउस एडजान हो गया। उसके बाद मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला।

श्री मागवत झा आजाद : माननीय सदस्य बाहर चले गये थे।

श्री मुहम्मद इस्माइल : मैं बाद में वापिस आ गया था।

इस बिल के बारे में हमने मंत्री महोदय का वक्तव्य सुन लिया है और जो एमेंडमेंट किया जाना था, वह हो गया है। इस तरह के और कानून जिस मकसद को लेकर बनाये गये हैं, वह मकसद कामयाब नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से उन कानूनों के वकिंग के बारे में पालियामेंट के मेम्बरों को कोई इनफार्मेशन भी नहीं दी जाती है। जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट ऐक्ट और बोनास ऐक्ट बगैरह का क्या असर हुआ है, उनसे कितने लोगों को फायदा पहुंचा है इस बारे में कोई भी इनफार्मेशन पालियामेंट के मेम्बरों को नहीं दी जाती है, लेकिन उनमें एमेंडमेंट कर दिये जाते हैं। हमने देखा है कि वर्कर्स ने जो कुछ लड़ कर ले लिया, वह तो उन्हें मिल गया; उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिल पाया। जो लड़ कर अपने अधिकार ले लेते हैं, उन्हें नक्सलाइट कहते हैं। जो लोग कानून के भरोसे बंधे रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है।

शाप्स एंड एस्टान्लिशमेंट्स ऐक्ट 1954 से चल रहा है, लेकिन जिन लोगों के लिये यह कानून बनाया गया है, क्या उनको इससे कोई फायदा हुआ है या नहीं, इस बारे में कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। हमारा तजुबी यह है कि शाप्स एंड एस्टान्लिशमेंट्स ऐक्ट में जिन छुट्टियों की व्यवस्था की गई है, वे दस परसेंट लोगों को भी नहीं मिलती हैं और जिन लोगों पर यह कानून लागू होना चाहिए, उन पर यह लागू नहीं होता है। हाउस या मंत्री

महोदय को पता नहीं कि इस ऐक्ट का क्या असर हुआ है।

दिल्ली के लिए यह एमेंडिंग बिल आ गया है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि दिल्ली में कितनी दुकानें या कर्मचारी हैं। कामशल एस्टान्लिशमेंट्स में कौन-कौन आते हैं? जो मजदूर बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं वे किस कानून मातहत आयेगे? मैं समझता हूं कि जो किसी भी कानून के मातहत नहीं आता है, वह इस कानून के मातहत आना चाहिए, ताकि सब मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हो सके। लेकिन इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है।

श्री रगधीर सिंह ने टेले वालों और रिक्शा वालों का जिक्र किया है। दुकानों के कर्मचारियों के अलावा लाखों की तादाद में घरों के कर्मचारी भी हैं उनकी ज़िन्दगी क्या है और उनका भविष्य क्या है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।

श्री मधोक ने इस बिल के बारे में कहा है ट्रेड यूनियन वाले लोगों को एक्सप्लायट करते हैं। मुझे तो भरोसा नहीं है कि इस कानून पर ठीक तरह से अमल होगा। इस का कारण यह है कि हम कानून तो मजदूरों और गरीबों के मामले पर बनाते हैं, लेकिन उन से फायदा पहुंचता है अमीरों को। शाप्स एंड एस्टान्लिशमेंट्स डिपार्टमेंट एक करप्शन का डिपार्टमेंट है। उस के लोग किसी छोटे दुकानदार पर जुल्म कर के लेते हैं और किसी से दूसरे तरीके से लेते हैं। मैं अपने प्रान्त और तीन चार और प्रान्तों के बारे में कह सकता हूं कि यह डिपार्टमेंट एक करप्शन का डिपार्टमेंट है। उस के द्वारा छोटे छोटे दुकानदारों को हैरास किया जाता है और मजदूरों को उन के अधिकारों से वंचित किया जाता है। मजदूरों ने जो कुछ लिया है, वह लड़ कर लिया है। अगर सरकार में जरा भी सिसेरिटी है, तो वह पालिया-

[श्री इस्माइल]

मेट के मेम्बरो की एक कमेटी सेट अप करे, जो इस बात की एन्क्वायरी करे कि शाप्स एंड एस्टाब्लिशमेंट्स एकट कैसे काम कर रहा है।

जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, हम लोग अंधेरे में हैं। हमें मालूम नहीं कि कितने लोग इस में घाते हैं और कितने लोगों को बेनिफिट मिला है। दुकानदारों को तंग किया जाता है, वर्कज को उन के अधिकार नहीं दिये जाते हैं और करप्शन बढ़ रहा है। उस को इंस्पेक्टर जा कर कह देता है कि तुम एग्जाप्ट कैसे होगें यह मैं बता देता हूं, तुम्हारा बचाव कैसे हो मैं बताता हूं। इस में 5 का हैं तो तुम 3 रखो और रात का हैं तो सामने दरवाजा के पीछे बरवाजा रखो और 5 रुपये महीना दिया करो, जब कोई डिफिकल्टी होयि हम आ कर बता देगे। यह जरनल तौर से हो गया है, मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं। इसलिए मेरा कहना यही है कि सरकार इसकी एन्क्वायरी कराए, लेबर डिपार्टमेंट एन्क्वायरी करा कर रिपोर्ट पेश करें ताकि देश को मालूम हो सके और इससे जिन लोगों का ताल्लुक है उन को मालूम हो सके। उनको क्या मिल रहा है वह भी बोल सकें और छोटे दुकानदारों की अपनी ग्रीवासेज क्या है वह भी बता सकें।

श्री भागवत झा आजाद : दिल्ली दुकान और स्थापना विधेयक की विषयता और महता का स्पष्ट प्रमाण यह है कि तृतीय वाचन पर माननीय सदस्यों ने इसमें बहुत जोर शोर से भाग लिया। जिन सात सदस्यों ने इस में भाग लिया सभी ने इस का स्वागत किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने इसमें सुझाव भी दिए हैं। इन सुझावों को हम दिल्ली प्रशासन के पास जब कानून का अमल किया जायगा तब वह इसे ध्यान में रखें इस के लिए भेज देंगे। कन्दु साहब ने कहा कि 12 महीने के लगातार कार्य के बाद ही यह छुट्टी मिलेगी, यह आशंका उन्होंने-

ने रखी तो ऐसी बात नहीं है। चार महीने के लगातार काम के बाद भी बह पांच दिन की छुट्टी का भागी होता है। यह कान्टीन्युअस के लिए आप ने बताया कि इस की परिभाषा नहीं दी गई है। इस की परिभाषा मूल कानून में भी नहीं थी। हमने यह समझा कि इसकी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सभ्य है कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया कठिनाई हो तो फिर इस पर विचार करेंगे। लेकिन एक बात है कि हम आप से बाजी नहीं लगा सकते। बाजी और वेत करना यह आप कर सकते है। हम नहीं कर सकते। बस इतना ही कह कर मैं तमाम सदस्यों को घन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया है और इसे पूर्ण समर्थन दिया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed.

The motion was adopted.

16.11 hrs.

DOCK WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT
AND REHABILITATION (SHRI
BHAGWAT JHA AZAD) : Sir, I beg to
move :

"That the Bill further to amend the
Dock Workers (Regulation of Employ-
ment) Act, 1948, as passed by Rajya
Sabha, be taken into consideration."

As the hon. Members are aware, the
parent legislation was enacted in 1948 mainly
with a view to reducing the hardship suffered
by dock workers due to the casual nature of
their employment. The Act empowers